'कोटा में बनेगा अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र'

जयपुर, (निसं)। कोटा जिले के दुग्ध उत्पादकों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सहकारी डेयरियों से जुड़े पशु पालकों के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता के चलते बजट घोषणा 2024-25 के तहत यहां एक अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र की स्थापना की जा रही है, जो न केवल आधुनिक तकनीक से लैस होगा बल्कि कोटा जिले एवं आसपास के क्षेत्र के एक लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए वरदान साबित होगा।

150 मैट्रिक टन प्रतिदिन की प्रारंभिक क्षमता वाला यह संयंत्र भविष्य में दोगुनी क्षमता के साथ पूरे हाडौती अंचल में पशुपालन क्षेत्र को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं सदस्य सचिव आरएमआरएस, बून्दी

क्रमांक/निविदा/2026/125 दिनांक-20.01.2026

निविदा सूचना

पं. बृज सुन्दर शर्मा, सामान्य चिकित्सालय, बून्दी की निविदा सूचना संख्या 125 दिनांक 20.01.2026 में FPD with DR Fly DR क्रय करने हेतु निविदा के माध्यम से मोहरबन्द लिफाफे मे आंमत्रित की जाती है, निविदा का UBN No MHS2526GSOB06050 है। विस्तृत जानकारी Sppp.raj.nic.in तथा कार्यालय में कार्यालय समय पर देखी जा सकती है।

प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं सदस्य सचिव आरएमआरएस, बून्दी

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-3000 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-19.01.26

आवास संख्या 3-एफ-56 दादाबाडी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री मुशताकुर्रहमान पुत्र श्री अजीजुर्रहमान को किया गया था। इस आवास का नियमितिकरण श्री लालचन्द पुत्र श्री कल्लूमल के नाम दिनांक 30.04.2002 को किया गया। इस आवास का पंजीयन श्री लालचन्द पुत्र श्री कल्लूगल द्वारा दिनांक 12.06.2002 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरात श्री लालचन्द पुत्र श्री कल्लूमल द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 30.03.2010 को श्रीमती नेहा पत्नी श्री दौलतराम रोहिड़ा को किया गया। श्रीमती नेहा पत्नी श्री दौलतराम रोहिडा का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 22.11.2013 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है श्रीमती नेहा पत्नी श्री दौलतराम रोहिडा द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 06.01.2014 को श्री ललित कुमार जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन को किया गया। श्री ललित कुमार जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 28.02.2014 को मंडल अभिलेख में दर्ज किया जा चुका है। श्री ललित कुमार जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 16.10.2015 को श्री मनोज गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द गुप्ता को किया गया। ततपश्चात श्री मनोज गुप्ता पुत्र श्री प्रेमचन्द गुप्ता द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 06.10.2025 को श्रीमती शारदा वाधवानी पत्नी श्री अशोक कुमार वाधवानी को किया गया। श्रीमती शारदा वाधवानी पत्नी श्री अशोक कुमार वाचवानी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-एफ 56 दादाबाडी, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती शारदा वाधवानी पत्नी श्री अशोक कुमार वाघवानी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती शारदा वाधवानी पत्नी श्री अशोक कुमार वाधवानी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती शारदा वाधवानी पत्नी श्री अशोक कुमार वाघवानी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा, राजस्थान

क्रमांक-ननिको/उपायुक्त/भ.नि.अनु./2026/4083-84 दिनांक- 20.1.26

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नवीन भारद्वाज पुत्र श्री नरेश कुमार भारद्वाज निवासी भूखण्ड संख्या 10-ए-17 महावीर नगर तृतीय परिजात कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 10-ए-17, महावीर नगर तृतीय परिजात कोटा क्षेत्रफल 189 वर्गमीटर का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 10-ए-17, महावीर नगर तृतीय परिजात कोटा क्षेत्रफल 189 वर्गमीटर का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल कोटा दिनांक 29.07.1993 को आवंटन क्रमाक 418 से श्री नरेश कुमार भारद्वाज पुत्र श्री लखपत राय के पक्ष में जारी किया गया है। श्री नरेश कुमार भारद्वाज की मृत्यु दिनांक 28.03.2024 व उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता भारद्वाज की मृत्यु दिनांक 15.11.2021 को हो जाने के उपरान्त आवेदक द्वारा एक मात्र विधिक वारिसान घोषणा के आधार पर नामांतरण चाहा गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 10-ए-17. महावीर नगर तृतीय परिजात क्षेत्रफल 189 वर्गमीटर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। वाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा, राजस्थान

क्रमांक-ननिको/उपायुक्त/भ.नि.अनु./2026/4081-82 दिनांक- 20.1.26

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री रमेश चन्द्र जालान पुत्र श्री अर्जुन दास जालान निवासी भूखण्ड सख्या 644, महावीर नगर द्वितीय कोटा द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 644, महावीर नगर द्वितीय कोटा क्षेत्रफल 89.4 वर्गमीटर का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने का आवेदन किया है। भूखण्ड संख्या 644, महावीर नगर द्वितीय योजना कोटा क्षेत्रफल 89.4 वर्गमीटर का नामांतरण कार्यालय नगर निगम कोटा के आदेश क्रमांक ननिको/भ.नि.अनु /मुख्यालय/09/2396 दिनांक 20.02.2009 से श्रीमती किरण बाला जालान पत्नी श्री रमेश चन्द्र जालान के पक्ष में किया गया है। श्रीमती किरण बाला की मृत्यु दिनांक 05.12.2022 को हो जाने के उपरांत उनके जिवित विधिक वारिसान 1. श्री रोहित कुमार 2 राहुल जालान 3. रमन कुमार जालान पिसरान श्री रमेश चन्द्र जालान द्वारा पंजीकृत रिलीज डीड दिनांक 11.08.2025 से उक्त भूखण्ड में निहित स्वयं का हक अपने पिता श्री रमेश चन्द्र जालान के पक्ष में त्याग दिया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 644, महावीर नगर द्वितीय क्षेत्रफल 89.4 वर्गमीटर आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा उका भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति संस्था वा अन्य किसी को भी उक्त भूखण्ड से सबंध रखता है. कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। वाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/101125 **लोकसूचना** दि.20.01.2026

श्री HARISH KUMAR पुत्र श्री GAJANAND जाति KALAL निवासी HANUMAN MANDIR KE PASS, MANPURA, KOTA श्री NARESH KUMAR पुत्र श्री GAJANAND जाति KALAL निवासी HANUMAN MANDIR KE PASS, MANPURA, KOTA ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **पर्यटन इकाई** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	नया नोहरा, लाडपुरा (कोटा)	1. NARESH KUMAR S/O GAJANAND 2. HARISH KUMAR S/O GAJANAND CASTE- KALAL NIWASI MANPURA KHATEDAR	473/44 PART SOUTH SIDE	8000	0.8
				कुल	0.8

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 20/01/2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/विक्रय/2025/1551 दिनांक : 2.1.2025

नाम हस्तातंरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवारा/भूखण्ड संख्या 162 विश्यकर्मा ऑटोमोबाईल नगर योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 307 दिनांक 11 12. 2000 मैसर्स कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स प्रो. विनोद कुमार भल्ला को आवंटित किया गया था। श्री विनोद कुमार भल्ला कि मृत्यु दिनांक 15.09.2020 को हो चुकी हैं। मृत्यु के पश्चात श्री विनोद कुमार भल्ला के विधिक वारिसान के द्वारा श्रीमती सोनिका भल्ला पत्नि श्री विनोद कुमार भल्ला के पक्ष में हक का त्याग किया गया है। हकत्याग ग्रहिता श्रीमती सोनिका भल्ला पत्नि श्री विनोद कुमार भल्ला के नाम हस्तांतरण वाहा गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तातरण की स्वीकृती देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवारा / भूखण्ड संख्या 162 विश्वकर्मा ऑटोमोबाईल नगर व्यावसायिक योजना का नाम हस्तांतरण श्रीमती सोनिका भल्ला पत्नि श्री विनोद कुमार भल्ला नाम से जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ 11/विक्रय/2025/752 दिनांक : 20.1.26

नाम हस्तातंरण बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास / भूखण्ड संख्या 693 बसंत विहार केशवपुरा-9 योजना का कार्यालय आदेश के पत्र क्रमांक 39 दिनांक 09.06.1999 द्वारा श्री प्रितम सिह राठौड पुत्र श्री धनश्याम सिहं राठौड को आंवटित किया गया था। श्री प्रितम सिहं राठौड के द्वारा श्री सत्यनारायण गुप्ता पुत्र श्री रामचरण गुप्ता को उक्त भूखण्ड कि कार्यवाही के सम्बंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखण्ड का बैचान जर्ये विक्रय पत्र दिनांक 02.08.2013 को श्री रमेशचन्द पुत्र श्री बृजमोहन को कर दिया गया श्री रमेशवन्द कि मृत्यु दिनांक 24.04.2021 को हो चुकी है। मृत्यु के पश्चात श्री रमेशचन्द के विधिक वारिसान के द्वारा श्रीमती मीना देवी पत्नि श्री स्व. रमेशचन्द के पक्ष में हक का त्याग किया गया है। हकत्याग ग्रहिता श्रीमती मीना देवी पत्नि श्री स्व .रमेशचन्द के नाम हस्तांतरण चाहा गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृती देने में किसी को भीं कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिन के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करावे अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवारा / भूखण्ड संख्या 693 बसंत विहार केशवपुरा 9 योजना का नाम हस्तांतरण श्रीमती मीना देवी पत्नि श्री स्व. रमेशचन्दनाम से जारी कर दी जावेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक :- एफ-15/कृ.भू.रू./2025/1971 **विज्ञप्ति** दिनांक : 20.1.2026

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामचन्द्रपुरा योजना ''गुरूनानक विहार'' खसरा नं. 219 में स्थित भूखण्ड संख्या 16 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु प्राधिकरण कार्यालय में श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम उदित सिंह एवं श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री राम उदित सिंह निवासी- 412, रामजानकी मंदिर, सेक्टर 4. केशवपुरा, कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। भूखण्ड संख्या 16 पट्टा क्रमांक 1333 दिनांक 25.03.2013 को श्रीमती बच्ची देवी पत्नि श्री राम उदित सिंह के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 05.09.2021 को हो चुकी हैं। पट्टेधारी की मृत्यु उपरांत आवेदक द्वारा प्रस्तुत (1) रिलिज डीड (2) विधिक वारिसान् शपथ-पत्र एवं (3) मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण चाहा गया है।

अतः श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम उदित सिंह एवं श्री मुकेश सिंह पुत्र श्री राम उदित सिंह के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड में अन्तरविभागीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

कोटा, (निसं)। डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, कोटा में कार्यरत विभिन्न विभागों एवं प्लांटों के कर्मचारियों में खेल की भावना जागृत करने व चुस्त-दुरूस्त बने रहने के लिये चार दिवसीय 59वीं अन्तरविभागीय खेलकूद प्रतियोगिता सोमवार को शुरू हुई।

मंगलवार को डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एण्ड रेजीडेन्ट हैड-कोटा, वीनू मेहता ने श्रीराम कला मंदिर स्थित क्रीड़ा स्थल पर ध्वज फहरा कर चार दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारम्भ किया।

डी.सी.एम. श्रीराम लिमिटेड में अन्तरविभागीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारम्भ हुआ।

इस अवसर पर वीनू मेहता, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एण्ड रेजीडेन्ट हैड-कोटा, ने रंग-बिरंगे गुब्बारे भी आकाश में छोड़े। आरम्भ में सभी टीमों ने मार्च पास्ट के साथ मुख्य अतिथि वीनू मेहता को सलामी दी। इसके उपरान्त कार्तिक सेन ने खेल ज्योति प्रज्वलित कर सभी टीमों के नायकों को अनुशासन में रहकर खेल को खेल भावना से खेलने की शपथ दिलाई। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के समक्ष 200 मीटर दौड़, रस्साकसी तथा 800 मीटर दौड़ का आयोजन किया गया। 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में तुलसीराम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

इन प्रतियोगिताओं में कबड्डी, वालीबॉल, रस्साकसी, खो-खो, बेडमिंटन तथा व्यक्तिगत स्पर्धाओं में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ऊँची कूद, लम्बी कूद, त्रिकूद, गोला फेंक, भाला फैंक, कैरम आदि एवं धीमी गति से साईकिल चलाना, 50 वर्ष से अधिक उम्र के साथियों के लिए ब्रिस्क वॉकिंग की प्रतियोगिता भी आयोजित की जायेंगी। महिला कर्मचारियों के लिये भी कैरम, शतरंज, टेबिल टेनिस एवं बैडमिंटन की प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी। आज के कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी बड़ी तादाद में उपस्थित थे। प्रतियोगिता का समापन आगामी 23 जनवरी को होगा।

अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित दो आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। गुमानपुरा पुलिस टीम ने नशे के खिलाफ चलाये जा रहे ऑपरेशन गरूड्व्यूह के तहत कार्यवाही करते हुए अवैध मादक पदार्थ 6 किलो 24 ग्राम गांजा सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

गुमानपुरा थानाधिकारी महेश कुमार ने बताया कि इलाके में गश्त के दौरान कार्यवाही करते हुए दो जनो पर संदेह होने पर तलाशी ली तो उनके पास से अवैध मादक पदार्थ 6 किलो 24 ग्राम गांजा बरामद किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद होने पर मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुए बल्लभबाड़ी निवासी प्रदीप सिंह व खुशदीप सिंह को गिरफ्तार किया। पकड़े गये दोनों आरोपियो से अनुसंधान जारी है।

कोटा विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह 23 जनवरी को

- 80 हजार 117 विद्यार्थियों को मिलेंगी उपाधियां
- स्वर्ण पदक हासिल करने वाले विद्यार्थियों में इस बार छात्राओं ने बाजी मारी है

कोटा, (निसं)। कोटा विश्वविद्यालय, कोटा का 12वां दीक्षांत समारोह 23 जनवरी, शुक्रवार को सिआम ऑडिटोरियम, नयापुरा में आयोजित किया जाएगा।

इस अवसर पर वर्ष 2023 की परीक्षाओं में उत्तीर्ण कुल 80,117 विद्यार्थियों को यूजी, पीजी एवं पीएचडी की उपाधियां प्रदान की जाएंगी। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागडे करेंगे।

विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत ने बताया कि दीक्षांत समारोह में वर्ष 2023 में विभिन्न संकायों में मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 59 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। स्वर्ण पदक हासिल करने वाले विद्यार्थियों में इस बार छात्राओं ने बाजी मारी है। दीक्षांत समारोह में 42 छात्राओं को गोल्ड मेडल मिलेगा।

कुलगुरु प्रो. बीपी सारस्वत ने कहा कि 80 हजार से अधिक विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करना कोटा विश्वविद्यालय की शैक्षिणक क्षमता, समावेशी दृष्टिकोण और गुणवत्ता-आधारित शिक्षा का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि 59 स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थी हमारी शैक्षिणक उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इनमें से 42 छात्राएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनकी बढती भागीदारी को दर्शाता है।

विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राजपाल सिंह ने बताया कि दीक्षांत समारोह के आयोजन एवं उपाधि वितरण की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

समारोह का सीधा प्रसारण विश्वविद्यालय की वेबसाइट, फेसबुक एवं यूट्यूब आदि के माध्यम से किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी एवं अभिभावक इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन सकेंगे।

घर में घुस कर जानलेवा हमला करने के पांच आरोपी गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। गुमानपुरा थाना इलाके में घर में घुसकर मारपीट करने के दर्ज मामले में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि फरियादिया ने 16 जनवरी को एमबीएस अस्पताल में रिपोर्ट दी। फरियादिया ने रिपोर्ट में कहा कि गुमानपुरा इलाके के भाटी चौक में अरमान स्विफ्ट कार में तेज आवाज में गाने चलाता हुआ आया, जिसे आवाज कम करने के लिये कहा तो वह थोड़ी देर बाद अपने साथियों के साथ डंडे व सरिये लेकर आया और फरियादिया के घर में घुस कर जाने से मारने की नियत से फरियादिया व उसके परिजनों के साथ मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाई। शहर एसपी ने कहा कि फरियादिया की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया, मामले में अनुसंधान एवं कार्यवाही के लिये पुलिस उपअधीक्षक योगेश शर्मा के निर्देशन में गुमानपुरा थानाधिकारी महेश कुमार कारवाल के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरु की। एसपी ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुये आरोपियों की त्वरित तलाश करते हुये आरोपियों के छुपने व भागने के बारे में आसूचना संकलित कर कार्यवाही करते हुए छावनी निवासी आमिर खान (27), कुम्हारों का मोहल्ला छावनी निवासी अरमान खान (22), छावनी निवासी सोहेल खान (23), श्रीपुरा निवासी नबील अब्बासी उर्फ नब्बू (23) और छावनी निवासी दानिश (22) को गिरफ्तार किया।

रीको पर्यावरण इंडस्ट्री एरिया नांता के द्विवार्षिक चुनाव निर्विरोध हुए

रीको पर्यावरण इंडस्ट्री एरिया नांता के द्विवार्षिक चुनाव निर्विरोध हुए जिसमें महावीर सुवालका अध्यक्ष बने हैं।

कोटा, (निसं)। रीको पर्यावरण इंडस्ट्री एरिया नांता के द्विवार्षिक चुनाव निर्विरोध हुए जिसमे महावीर सुवालका को अध्यक्ष बनाया गया। इसकी घोषणा चुनाव अधिकारी सोहन सिंह धंजल ने की है। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष संजय शर्मा, महासचिव पुष्कल जैन, कोषाध्यक्ष हिमांशु, राज कुमार जैन, राजेश बैरवा, जगदीश शर्मा, भव्य शर्मा, अनिल पारेता, अनुपम शर्मा, हरिश चौधरी, सुनील चौधरी, तुलसी राम, रजनीश जैन व अन्य उपस्थित होकर सभी ने बधाई दी है।

आम सूचना

मेरे पक्षकार विष्णुचन्द्र शर्मा पुत्र स्व. श्री चिरंजीलाल शर्मा, निवासी रोघई राज. हाल निवासी मकान संख्या 4-बी-7, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, लैण्डमार्क सिटी कोटा राज. मो. नं. 8949644915 की ओर से उनके निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार का पुत्र गौरव व्यास पुत्र विष्णुचन्द शर्मा की पत्नी डिम्पल शुक्ला पुत्री स्व. महेश कुमार शर्मा वर्तमान निवासी मकान संख्या 1-डी-5, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, कुन्हाडी कोटा मेरे पक्षकार व उसकी पत्नी उषा शर्मा के साथ आये दिन लडाई झगडा, गाली गलौच व दुर्व्यवहार कर मेरे पक्षकार व उसके परिवार को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करती है तथा मेरे पक्षकार की संपत्ति को उनके नाम करवाने अन्यथा मेरे पक्षकार व उसके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकीयां देती है। मेरे पक्षकार का पुत्र गौरव शर्मा भी उसे नियंत्रित करने तथा मेरे पक्षकार व उसके परिवार के साथ क्रूरता कारित करने से रोकने में असमर्थ है तथा मेरे पक्षकार के कहने में नहीं है। उनका आचरण व व्यवहार मेरे पक्षकार व उसके परिवार के प्रति अपमानजनक एवं क्लेशकारी हैं। अतः मेरा पक्षकार अपने पुत्र गौरव शर्मा तथा उसकी पत्नी डिम्पल को अपनी समस्त चल अचल संपत्ति, जात-जायदाद से दिनांक 14.01.2026 से बेदखल करता है। जिसकी आम सूचना प्रकाशित की जा रही है। मेरे पक्षकार एवं उसके परिवार का इन दोनों से कोई पारिवारिक या कानूनी संबंध नहीं रहा है। यदि कोई व्यक्ति इनके साथ किसी प्रकार का संव्यवहार करता है तो उसके लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा। अतः सूचित हो।

कोटा,

भवदीय

रोहित सिंह एडवोकेट

127, शोपिंग सेन्टर कोटा राज.

मो.नं. 9414391904

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि अचल सम्पत्ति मकान नम्बर MPB-4 वाके महावीर नगर प्रथम कोटा (राजस्थान) में स्थित हैं, उक्त मकान को राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड कोटा से श्री अशोक कुमार पाटनी को जरिये रजिस्टर्ड परपेचुयल लीज एवं कनवेन्स डीड दिनांक 30.03.1999 जिसका पंजीयन दिनांक 31.03.1999 को प्राप्त हुई थी, तत्पश्चात् श्री अशोक कुमार पाटनी ने उक्त मकान का (आधा भाग) का बेचान जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 02.09.2000 को श्री ओम प्रकाश काकानी के पक्ष में कर दिया हैं, तत्पश्चात् श्री अशोक कुमार पाटनी ने उक्त मकान का (आधा भाग) का बेचान जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 02.09.2000 को श्री कैलाश चन्द काकानी के पक्ष में कर दिया हैं, तत्पश्चात् श्री ओम प्रकाश काकानी एवं कैलाश चन्द काकानी ने उक्त मकान का (सम्पूर्ण भाग) का बेचान जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 15.04.2024 को श्री अशोक औदिच्य के पक्ष में कर दिया हैं, उपरोक्त सम्पत्ति/मकान के मूल दस्तावेजों में से राजस्थान आवासन मण्डल कोटा द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, मांग पत्र क्रमांक 6675 दिनांक 24.03.1999, नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र क्रमांक 6784 दिनांक 27. 03.1999, रजिस्ट्रर्ड परपेच्यूल लीज एवं रजिस्ट्रर्ड कनवेयन्स डीड दिनांक 30.03.1999 जिसका पंजीयन दिनांक 31.03.1999 का कहीं गुम हो गया हैं, जिस बाबत् मेरे अभिभाष्य श्री अशोक औदिच्य पुत्र श्री मनीष कुमार वित्तीय संस्था CHOLAMANDLAM INVESTMENT & FINANCE CO-LTD- से ऋण ले रहे हैं, सर्वसाधारण को उक्त सम्पत्ति के विधिक वारिसान, मालीकाना हक स्वामित्व, कब्जे व अधिकार पर कोई आपत्ति हो तो चार दिवस मे लिखित में मय दस्तावेज सूचित करें अन्यथा आपत्ति शून्य, अप्रभावी व अमान्य समझी जावेगी।

दिनांक- 20/01/2026

For SRM PARTNERS KOTA

Off- No- 127, Santwani Sadan, Ballabh Bari Kota

Mob. No. 737426847

राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने कर्तव्य बोध दिवस मनाया

रामगंजमंडी, (निसं)। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा रामगंजमंडी के तत्वावधान में मंगलवार को कर्तव्य बोध दिवस मनाया गया।

उपशाखा अध्यक्ष रमेश गोचर ने बताया की संगठन प्रदेश की रचना अनुसार प्रतिवर्ष 12 जनवरी विवेकानंद जयंती से 23 जनवरी नेता जी सुभाष चंद बोस की जयंती तक कर्त्तव्य बोध पखवाड़ा मनाता आया हैं। इसी क्रम में मां शारदे भवन शिक्षक कालोनी पर कर्त्तव्य बोध दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां शारदे की पूजा अर्चना एवं वंदना के साथ हुआ। मुख्य वक्ता गिरिराज अहीर बौद्धिक शिक्षण प्रमुख कोटा विभाग। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यापक प्रतिनिधि नवल किशोर शर्मा, विशिष्ट अतिथि रासबिहारी यादव जिला अध्यक्ष कोटा रहे। जिले से नियुक्त पालक बनवारी लाल यादव एवं पर्यवेक्षक मांगीलाल महावर ने संपूर्ण कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की। अध्यक्षता उपशाखा अध्यक्ष रमेश गोचर द्वारा की गई। मुख्य वक्ता गिरिराज अहीर ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कर्तव्य बोध का अर्थ समझाया। विवेकानंद को युवा हृदय सम्राट एवं आधुनिक भारत का प्रेरणा पुंज बताया। नेता जी सुभाष चंद्र बोस के अतुल्य साहस और त्याग को भी विस्तार से बताया। मुख्य अतिथि नवल किशोर शर्मा ने कार्यकर्ता प्रवास एवं उपशाखा स्तर पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। जिला अध्यक्ष रासबिहारी यादव ने संपूर्ण आयोजन की भूरि-भूरि प्रशंसा की एवं संगठन की रीति-नीति के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर संगठन के निष्ठावान सेवानिवृत्त कार्यकर्ता उप प्राचार्य मुरली मनोहर शर्मा, अध्यापक रमेश चंद अहीर, अध्यापक पुरुषोत्तम अहीर एवं अध्यापिका ज्योति बाला शर्मा का तिलक, उपर्णा, सरोफा एवं स्मृति चिंह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कार्यकर्ता राधेश्याम अहीर के द्वारा किया गया। अन्त में उपशाखा अध्यक्ष रमेश गोचर द्वारा सबका आभार व्यक्त किया गया और कल्याण मंत्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

सार-समाचार

अवैध पदार्थ सहित दो महिला तस्कर गिरफ्तार

भवानीमंडी, (निसं)। भवानीमंडी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। जिसमें अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा सहित 2 महिला मुलजिमा को गिरफतार किया है। मुलजिमाओं के कब्जे से 11 किलो 420 ग्राम अवैध मादक डोडा-चूरा जप्त किया है। इस कार्यवाही में सत्यव्रत आर्य कानि. आर.पी.एफ. रामगंजमंडी का सहयोग रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ तस्करो के विरुद्ध जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है अभियान में अधिक से अधिक प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जिले के सभी थानाधिकारियों को थाना स्तर पर टीम गठित कर आपराधियो की धरपकड हेतु निर्देशित किया गया था जिसके अन्तर्गत पुलिस थाना भवानीमंडी टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्यवाही करते हुये 2 महिला मुलजिम को गिरफतार कर उनके कब्जे से 11 किलो 420 ग्राम डोडा-चूरा को जप्त करने में सफलता प्राप्त की है। यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार व भागचन्द मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के निर्देशन एवं प्रेमकुमार आर.पी.एस. वृताधिकारी वृत भवानीमंडी के निकटतम सुपरविजन में प्रमोद कुमार पु.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना भवानीमंडी के नेतृत्व मे थाना हाजा पर विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा गश्त के दौरान श्रीछतरपुरा थाना भवानीमण्डी से अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुये महिला 1 मनजीत कौर पत्नी गुरमीत सिंह 2 नजीत कौर पत्नी टेहल सिंह शेरपुर ताइबान पुलिस थाना धर्मकोट जिला मोगा (पंजाब) को गिरफतार करते हुये महिला मुलजिम के कब्जे 11 किलो 420 ग्राम डोडा चुरा को जप्त किया गया।

बाबा बागेश्वर की रामकथा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं

रामगंजमंडी, (निसं) रामगंजमंडी में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 23, 24 व 25 जनवरी को राम कथा करेंगे। जिससे पूर्व 22 जनवरी गुरुवार को बालाजी मंदिर रेलवे स्टेशन चौराहे से विशाल कलश यात्रा प्रारंभ होगी जो खैराबाद तालाब पर समाप्त होगी। कथा का आयोजन गुंदी फतेहपुर रीको औद्योगिक क्षेत्र में होगा। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कथा स्थल पर मंच, पंडाल, साफ-सफाई, पार्किंग व अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मंगलवार को आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल, जिला पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर व एएसपी कोटा ग्रामीण रामकल्याण मीणा ने रामगंजमंडी पुलिस उप अधीक्षक और चेचट, मोड़क व रामगंजमंडी थाना अधिकारी के साथ आयोजन स्थल का निरीक्षण कर यातायात व सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने कहा है कि कथा स्थल पर पुलिस द्वारा फेस डिटेक्टिव कैमरे लगाए जाएंगे ताकि बदमाशों की पहचान सुनिश्चित की जा सके, ताकि चोरी और लूट की घटना से निजात मिले। आयोजन समिति के अखलेश मेड़तवाल व नरेंद्र काला ने उन्हें पार्किंग, आवाजाही व पंडाल स्थल का अवलोकन कराया। कथा में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भक्तों के लिए भोजन व्यवस्था भी की जा रही है।

अंता में खाद्य पदार्थ लाइसेंस शिविर 22 को

अंता, (निसं)। अंता कस्बे में गुरुवार 22 जनवरी को खाद्य पदार्थ लाइसेंस का शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर व्यापार महासंघ अंता व खाद्य सुरक्षा विभाग बारां के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। व्यापार महासंघ अंता अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल, किराना व्यापार संघ अध्यक्ष मोहित कालरा, रेस्टोरेंट एसोसिएशन अध्यक्ष ओम बालाजी ने बताया कि खाद्य पदार्थ लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर 22 जनवरी गुरुवार को पोस्ट ऑफिस बालाजी की बगीची में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। यह शिविर खाद्य पदार्थ से जुड़े हुए व्यापारियों की सुगमता के लिए आयोजित किया जा रहा है। शिविर में सभी खाद्य पदार्थ व्यापारी जिसमें किराना, कैटरिंग, सब्जी फल विक्रेता, चाट पतासी व्यापारी, फास्ट फूड व बेकरी व्यापारी, चाय व पानके व्यापारी, दूध डेयरी के व्यापारी अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं इसके उपरांत खाद्य विभाग द्वारा लाइसेंस निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत अभियान के पूर्व यह शिविर आयोजित हो रहा है।

राष्ट्रीय सिंधी संगोष्ठी कल

कोटा, (निसं)। कोटा विश्वविद्यालय की सिंधु अध्ययन शोधपीठ के तत्वावधान में 22 जनवरी 2026 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह संगोष्ठी राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से आयोजित की जा रही है। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े तथा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में देशभर के प्रख्यात विद्वान, शोधार्थी एवं अध्येता भाग लेंगे। संगोष्ठी के अंतर्गत दो तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. रवि टेकचंदानी, एनसीपीएसएल बोर्ड के प्रतिनिधि मनीष देवनानी सहित अन्य विद्वान वक्ता अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। संगोष्ठी का समापन सायं 5 बजे किया जाएगा।

कार्यालय नगर निगम कोटा (राज0)

राजीव गांधी भवन, दशहरा मैदान, सी0ए0डी0 सर्किल, कोटा

Website : www.kotamc.org, Email :

क्रमांक:- ननिकोटा/रा.नीलामी/राजस्व/2025/120-21 दिनांक:- 15.01.2026

ई-ऑक्शन के माध्यम से विकसित कॉलोनियों में भूखण्ड खरीदने का सुनहरा अवसर

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम कोटा द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक 2011-23 दिनांक 16.12.2025 की निरन्तरता में निगम की विकसित निम्न योजनाओं में आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डों की ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलामी का कार्यक्रम रखा गया है। ई-ऑक्शन निम्नांकित सारणी अनुसार तिथिवार किया जावेगा। (अन्तिम 5 मिनट में स्वतः बोली विस्तार नही होने की स्थिति में) समस्त जानकारी ई-नीलामी की वेबसाईट https://lsgeauction.rajasthan.gov.in के माध्यम से ही सम्पादित होगी।

नीलामी कार्यक्रम का विवरण

क्र. सं.	भूखण्ड सं.	कॉलोनी का नाम	क्षेत्रफल/साईज	आवासीय व्यवसायिक	निर्धारित न्यूनतम नीलामी दर प्रति वर्गफुट	धरोहर राशि	रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ दिनांक	ई ऑक्शन की तिथि एवं समय: प्रारम्भ तिथि समय	ई ऑक्शन की तिथि एवं समय: समाप्ति तिथि समय	सम्बन्धित कनि. अभियन्ता का मो. नं.
1	87	महावीर नगर-I	16'7'/2 x 35'= 581.7 वर्गफुट = 54.06 वर्ग मी.	व्यवसायिक (कॉर्नर)	10000	116340	14.01.26 को प्रातः 10 बजे से 16.01.26 सायं 6.00 बजे तक	17.01.26 को प्रातः 11.00 बजे से	19.01.26 को प्रातः 11.00 बजे तक	श्री राजेश यादव, मो.नं. 97854-65662
2	88	महावीर नगर-I	16'7'/2 x 35'= 581.7 वर्गफुट = 54.06 वर्ग मी.	व्यवसायिक (सामान्य)	9000	104710	14.01.26 को प्रातः 10 बजे से 16.01.26 सायं 6.00 बजे तक	17.01.26 को प्रातः 11.00 बजे से	19.01.26 को प्रातः 11.00 बजे तक	श्री राजेश यादव, मो.नं. 97854-65662
3	89	महावीर नगर-I	16'7'/2 x 35'= 581.7 वर्गफुट = 54.06 वर्ग मी.	व्यवसायिक (सामान्य)	9000	104710	16.01.26 को प्रातः 10 बजे से 18.01.26 सायं 6.00 बजे तक	19.01.26 को प्रातः 11.00 बजे से	21.01.26 को प्रातः 11.00 बजे तक	श्री राजेश यादव, मो.नं. 97854-65662
4	90	महावीर नगर-I	16'7'/2 x 35'= 581.7 वर्गफुट = 54.06 वर्ग मी.	व्यवसायिक (कॉर्नर)	10000	116340	16.01.26 को प्रातः 10 बजे से 18.01.26 सायं 6.00 बजे तक	19.01.26 को प्रातः 11.00 बजे से	21.01.26 को प्रातः 11.00 बजे तक	श्री राजेश यादव, मो.नं. 97854-65662
5	एस 53 ए	इन्द्र विहार	9'x 25'= 225 वर्गफुट	व्यवसायिक (सामान्य)	11000	49580	18.01.26 को प्रातः 10 बजे से 20.01.26 सायं 6.00 बजे तक	21.01.26 को प्रातः 11.00 बजे से	23.01.26 को प्रातः 11.00 बजे तक	श्री भुवनेश नावरिया, मो. नं. 96360-62810
6	10	महावीर नगर-I	10 x 15'= 150 वर्गफुट	व्यवसायिक (सामान्य)	12000	36000	18.01.26 को प्रातः 10 बजे से 20.01.26 सायं 6.00 बजे तक	21.01.26 को प्रातः 11.00 बजे से	23.01.26 को प्रातः 11.00 बजे तक	श्री राजेश यादव, मो.नं. 97854-65662
7	419	महावीर नगर-I	12.5''x 37 = 459.54 वर्गफुट = 42.70 वर्ग मी.	आवासीय (सामान्य)	4000	36763	18.01.26 को प्रातः 10 बजे से 20.01.26 सायं 6.00 बजे तक	21.01.26 को प्रातः 11.00 बजे से	23.01.26 को प्रातः 11.00 बजे तक	श्री नवीन आनन्द, मो.नं. 75719-08606

नोटः-

नीलामी के संदर्भ में अन्य जानकारी/अन्य शर्ते राजीव गांधी भवन के ब्लॉक "ए" के प्रथम तल के कमरा नं. 238, राजस्व अनुभाग नगर निगम कोटा में सम्बन्धित लिपिक श्री फिरोज खान, मो. नं. 98297-07419 (कार्यालय समय में) से सम्पर्क किया जा सकता है।

1. नगर निगम कोटा में SSO ID के माध्यम से भूखण्डों का ई-ऑक्शन प्रारम्भ किया जा रहा है ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिए SSO ID के माध्यम से स्वहपद करना होगा। ई-ऑक्शन में भाग लेने हेतु पंजीयन शुल्क/ईएमडी ऑनलाईन जमा करवानी होगी। नीलामी की विस्तृत शर्ते नगर निगम कोटा की वेबसाईट https://lsgeauction.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। सभी नीलामी कार्यक्रम प्रारम्भ होने का समय प्रातः 10.00 बजे एवं समाप्ति दिवस के प्रातः 11.00 बजे तक रहेगा।
2. नीलामी से पूर्व निविदादाता को अपनी प्रोफाइल बनानी होगी जिसके Approved होने के पश्चात् ही नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।
3. नीलामी के संदर्भ में अन्य जानकारी/अन्य शर्ते एस.एस.ओ.आई.डी. माध्यम से वेबसाईट पर जाकर एवं राजीव गांधी भवन के ब्लॉक "ए" के प्रथम तल के कमरा नं. 238, राजस्व अनुभाग नगर निगम कोटा में (कार्यालय दिवस व कार्यालय समय) में सम्पर्क किया जा सकता है।
4. लीज की गणना 40 फीट रोड पर भूखण्ड होने पर वर्तमान डीएलसी का 70 प्रतिशत एवं 30 फीट रोड पर भूखण्ड होने पर 60 प्रतिशत से लीज की गणना की जावेगी।
5.. Nagar Nigam Kota is not responsible for any kind of network problem.
6. ई-नीलामी से विक्रय किये भूखण्डों की 15 प्रतिशत राशि नीलामी तिथि को सम्मलित करते हुए 03 कार्य दिवस में जमा होने व नही होने की समस्त जिम्मेदारी स्वयं क्रेता की होगी।
7. भूखण्ड 99 वर्षीय लीज पद्धति के अनुसार ही नीलाम किया जावेगा।
8. एकल बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नगर निगम कोटा का होगा।
9. बोलीदाताओं द्वारा प्रत्येक भूखण्ड के लिए पृथक-पृथक रजिस्ट्रशन फीस रू. 2000/- तथा उपरोक्तानुसार धरोहर राशि (EMD) ऑनलाईन जमा करा कर ई-ऑक्शन में भाग ले सकेंगे।
10. क्रम सं. 1 से 06 तक की नीलामी 50/- के गुणांक में बढाई जाने पर ही मान्य होगी।
11. मौके पर सम्पत्ति "जहां है जैसी है" के आधार पर साईज के अनुसार ही ई-नीलामी की जावेगी जो भौतिक कब्जे के समय साईज से कम या ज्यादा हो सकती है। अधिक साईज होने पर अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी तथा कम साईज होने पर राशि लौटा दी जावेगी। लीज राशि अलग से देय होगी।
12. राज्य सरकार या नगर निगम कोटा द्वारा जो भी नियमानुसार शर्ते निर्धारित है वह मान्य होगी।

राज.संवाद/सी/25/17942

उपायुक्त राजस्व